IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 779 OF 2022

IN THE MATTER OF :

DEVVRAT BHARDWAJ ... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ... RESPONDENTS

INDEX

S.No.	Particulars	Page Nos.
1.	Reply affidavit on Behalf of Respondent No. 04- Meerut Development Authority	1-8
2.	**ANNEXURE-R-4/1** A true copy of the letter dated 28.09.2022 written by the applicant to the answering Respondent.	9
3.	**ANNEXURE-R-4/2** A true copy of the letter dated 01.10.2022 written by the answering Respondent to Respondent No. 03.	10
4.	**ANNEXURE-R-4/3** A true copy of show cause notices dated 01.10.2022 to the developer i.e. M/s. Madhur Infra Developers Pvt. Ltd. by the answering Respondent.	11-12
5.	**ANNEXURE-R-4/4** A true copy of the letter dated 01.10.2022 written by the answering Respondent to Station House Officer.	13
6.	**ANNEXURE-R-4/5** A true copy of the notice dated 03.10.2022 issued by the answering Respondent to developer and other persons.	14
7.	**ANNEXURE-R-4/6** A true copy of the show cause notice dated 07.10.2022 issued by the answering Respondent to developer.	15
8.	**ANNEXURE-R-4/7**	

	A true copy of the sealing order dated 07.11.2022 passed by the answering Respondent.	16
9.	**ANNEXURE-R-4/8** A true copy of the letter dated 09.11.2022 issued by the answering Respondent to Respondent No. 02 and other persons	17
10.	Vakalatnama	18

NEW DELHI
FILED ON: 12.11.2022

Filed by:

RACHIT MITTAL
Advocate for Respondent No.4
RM Law Chambers,
MZ-24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector -18, Noida, U.P.
Email: office@rmlawchambers.in
Office Phone: 0120- 4998794
Mob.: 9873997047

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 779 OF 2022

IN THE MATTER OF :

DEVVRAT BHARDWAJ ... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ... RESPONDENTS

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4-MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

I, Vimal Kumar Sonkar S/o Late Shri Bala Prasad aged about 57 years working as Superintending Engineer, Meerut Development Authority, Meerut, U.P., presently at Noida do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I, in the aforesaid capacity is well conversant with the facts and circumstances of the case derived on information from the record. Hence I am competent to swear this affidavit.
2. That I have gone through the application so preferred by the Applicant and have under stood the contents thereof.
3. That at the outset I deny each and every averment contained in the application, except those which are admitted herein expressly.

4. That the aforementioned application has been filed by the applicant seeking following prayers:

> *"In view of the above facts and circumstances it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:*
>
> *(i) Direct the Respondent State of Uttar Pradesh and Respondent Nos.2 to 6 to stop and prevent illegal construction which has taken place and direct them to convert the park back to park as per the layout plan of Madhur Enclave.*
>
> *(ii) Direct the Respondent State of Uttar Pradesh and Respondent Nos.2 to 6 to demolish and remove the encroachment and illegal constructions that have been raised on land reserved for park/open area as per the layout plan of Madhur Enclave.*
>
> *(iii) Direct the respondent Nos.2 to 6 to ensure that in future also no one can occupy the land reserved for park/ open area under the layout plan of Madhur Enclave.*
>
> *(iv) Direct the Respondent State of Uttar Pradesh and Respondent Nos. 2 to 6 to restore the land reserved for park /open area under the layout plan of Madhur Enclave and develop it as per its original use.*
>
> *(v) Direct Respondent State of Uttar Pradesh to initiate civil and criminal proceedings against land mafia for the illegal*

and unauthorized construction on the land reserved for park and open space under the layout plan of Madhur Enclave.

(vi) Impose environmental cost on the land mafia for the damage caused by them to the environment by their legal actions.

(vii) Direct the respondent nos. 2 to 6 to take the necessary action against the officers of government body who were involved directly or indirectly to promote the land mafia about the encroachment and illegal construction.

(vii) Pass such other further order/orders that this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in light of the facts and circumstances of the present case."

5. That the aforementioned matter was listed before this Hon'ble Tribunal on 07.11.2022, wherein this Hon'ble Tribunal was pleased to issue notice to the Respondents for filing the reply in the aforementioned matter.

6. That the following facts and actions taken by the answering Respondent are necessary for the adjudication of the present application:

(i) The layout plan of Madhur Enclave, Near Pallavpuram Phase-1, Roorkee Road, Meerut was approved by the answering respondent vide Map No. 14/2010. As per the said layout, the area

NOTARY YOGENDRA SINGH Area G.B. Nagar Regd. No. 56778 GOVT. OF INDIA

under parks was sanctioned as 2,590.00 sq. mtrs. out of the total area of site of 18,860.00 sq. mtrs.

(ii) It was brought to the notice of the answering Respondent that in the said colony, some miscreants residing in the said colony tried to raise illegal construction in the land earmarked for park in front of Plot Nos. 81 and 64 near the main entrance gate. After gathering the said information, the answering Respondent at numerous instances got the work of illegal construction stopped at the site.

(iii) On 28.09.2022, the applicant along with Mr. Anil Jain raised a complaint addressed with answering Respondent regarding illegal construction at the site which was earmarked for Park. A true copy of the letter dated 28.09.2022 written by the applicant to the answering Respondent is annexed and marked as **"ANNEXURE-R-4/1"**.

(iv) After receipt of the complaint, the answering Respondent vide letter dated 01.10.2022 apprised the Respondent No. 03 about the situation that some residents of the colony are trying to raise illegal construction in the form of temple in the

NOTARY YOGENDRA SINGH Area NOIDA G.B. Nagar Regd. No. 5637/08 GOVT. OF INDIA

area earmarked for park in the colony. It was requested that the appropriate action may be taken so that the peace, law and order is not disturbed in the said area. A true copy of the letter dated 01.10.2022 written by the answering Respondent to Respondent No. 03 is annexed and marked as **"ANNEXURE-R-4/2"**.

(v) The answering Respondent issued a show cause notices dated 01.10.2022 to the developer i.e. M/s. Madhur Infra Developers Pvt. Ltd. under Section 26, 26(a), 27 and 28 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 seeking response as to why the order of demolition and actions may not be taken against the developer for illegal construction. A true copy of show cause notices dated 01.10.2022 to the developer i.e. M/s. Madhur Infra Developers Pvt. Ltd. by the answering Respondent is annexed and marked as **"ANNEXURE-R-4/3"**.

NOTARY YOGENDRA SINGH Area NOIDA G.B. Nagar Regd. No. 56771/08 GOVT. OF INDIA

(vi) The answering Respondent wrote a letter dated 01.10.2022 to the Station House Officer, P.S. Pallavpuram, Meerut requesting to get the illegal construction stopped at site. A true copy of the

letter dated 01.10.2022 written by the answering Respondent to Station House Officer is annexed and marked as **"ANNEXURE-R-4/4"**.

(vii) The answering Respondent again issued a notice dated 03.10.2022 addressing developer and other persons to stop the illegal construction at the said land. A true copy of the notice dated 03.10.2022 issued by the answering Respondent to developer and other persons is annexed and marked as **"ANNEXURE-R-4/5"**.

(viii) The answering Respondent issued the show cause notice dated 07.10.2022 to the developer as to why the illegal construction raised may not be sealed. A true copy of the show cause notice dated 07.10.2022 issued by the answering Respondent to developer is annexed and marked as **"ANNEXURE-R-4/6"**.

(ix) Since developer did not turn up pursuant to various notices, the answering Respondent passed the sealing order under Section 28 (a)(1) of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 on 07.11.2022. It is pertinent to mention here that as per the said

order, the date of sealing the unauthorized construction is fixed as 18.11.2022 and the same will be done subject to availability of the police force in order to carry out the sealing peacefully. A true copy of the sealing order dated 07.11.2022 passed by the answering Respondent is annexed and marked as **"ANNEXURE-R-4/7"**.

(x) The answering Respondent thereafter wrote a letter dated 09.11.2022 addressing the Respondent No. 02 informing that the sealing order has been passed and the sealing would be done on 18.11.2022 subject to the availability of the police force. A true copy of the letter dated 09.11.2022 issued by the answering Respondent to Respondent No. 02 and other persons is annexed and marked as **"ANNEXURE-R-4/8"**.

7. It is submitted that the answering respondent has always been vigilant in exercising its duties and fulfilling its responsibilities with due care and consciousness at all times and also has been complying with the orders/ directions passed by this Hon'ble Tribunal from time to time.

NOTARY YOGENDRA SINGH Area NOIDA G.B.Nagar Regd. No. 56771/08 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION:-

The contents of the above reply affidavit from paragraph 1 to 7 are true and correct as per the official records. Nothing is wrong therein and nothing material has been concealed there from.

Verified at Noida today on this 12th day of November, 2022

DEPONENT

NOTARY
YOGENDRA SINGH
Area NOIDA
G.B.Nagar
Regd. No. 5677108
GOVT. OF INDIA

Through

(RACHIT MITTAL)
Advocate for Respondent No. 4
Meerut Development Authority
MZ-24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector 18, Noida- 201 301
Uttar Pradesh
Mob.: +91 9873997047
Email: office@rmlawchambers.in

ATTESTED

YOGENDRA SINGH
NOTARY NOIDA
G.B. Nagar (U.P.) INDIA

1 2 NOV 2022

1 2 NOV 2022

सेवा में,

श्रीमान वी० सी० / जिलाधिकारी

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ

विषय: पार्क की आरक्षित जगह पर अवैध निर्माण को रोकने और गिरने की संदर्भ में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मधुर एंक्लेव, मोदीपुरम मेरठ, प्राधिकरण से स्वीकृत है जिसका ले-आउट संख्या: 14/2010 है। इस स्वीकृत ले आउट में आरक्षित पार्क में कुछ कॉलोनीवासी एक गुट बना कर आरक्षित पार्क की भूमि में अनाधिकृति क़ब्ज़ा करके इस आरक्षित पार्क की भूमि में अवैध निर्माण का कार्य दिनांक 7/9/2022 को शुरू कर दिया है जिसकी तुरंत ही प्रार्थी ने मेरठ विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन शिकायत (शिकायत संख्या: 40013822027784) दर्ज कर दी थी जिस पर एम०डी०ए० के अधिकारी ने उक्त अवैध निर्माण पर निगरानी रखी जायेगी कहते हुए शिकायत का निस्तारण का दिया परंतु इस अवैध निर्माण को पुनः दिनांक 26/9/2022 से तेजी से करना प्रारंभ कर दिया है और निर्माण को जल्द पूरा करने की योजना से कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी(शिकायत संख्या: 31658083072200004) परंतु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। कुछ कालोनी वासी इस अवैध निर्माण का विरोध कर रहे है और एम०डी०ए० में अधिकारियों से भी मिले है परंतु प्राधिकरण के अधिकारी भी कुछ कहने से बच रहे है इसलिए आपके समक्ष प्रार्थी अपनी शिकायत लेकर आया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आरक्षित पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण को तत्काल रोकने एवं अभी तक के अवैध निर्माण को हटाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

दिनांक:28/09/2022

प्रार्थी सदस्य:-

1)देवव्रत भारद्वाज /
60, मधुर एंक्लेव, मोदीपुरम, मेरठ
9690194534

2) अनिल जैन
64, मधुर एंक्लेव, मोदीपुरम, मेरठ

3) रुचिर जैन
81, मधुर एंक्लेव, मोदीपुरम, मेरठ

छायाप्रतिलिपि संलग्न

१) 27/9/2022 का छायाचित्र
२) ऑनलाइन रिपोर्ट संख्याएँ
३) पुलिस शिकायत कॉपी
४) प्राधिकरण स्वीकृत ले-आउट
५) एम०डी०ए० शिकायत का जवाब

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक सं0– 614 /2022 दिनांक: 1-10-22

प्रेषक,

जोनल अधिकारी जोन–बी
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
मेरठ।

विषयः– मधुर इन्कलेव कालोनी पल्लवपुरम फैस–1, रूडकी रोड मेरठ के अन्तर्गत आरक्षित पार्क में मन्दिर निर्माण किये जाने की आंशका से उत्पन्न शांति व्यवस्था की समस्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि मधुर इन्कलेव, पल्लवपुरम फैस–1 रूडकी रोड मेरठ का तलपट मानचित्र मैसर्स मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा प्राधिकरण से तलपट मानचित्र सख्या–14/2010 द्वारा स्वीकृत कराया गया है । स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत प्रदर्शित पार्क में कुछ कालोनी वासियों द्वारा मन्दिर का निर्माण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा हैं, जिसको प्राधिकरण द्वारा मौके पर कई बार रूकवाया गया है परन्तु काफी सख्या में कालोनीवासी प्राधिकरण की कार्यवाही का विरोध कर रहे है, तथा किसी भी तरह अनाधिकृत रूप से मन्दिर का निर्माण करने पर आमदा है। साथ ही कुछ लोग मन्दिर निर्माण किये जाने का विरोध भी कर रहें है। प्रकरण धार्मिक आस्था से जुडा है। स्थल पर किसी भी समय शांति व्यवस्था बिगडने की सम्भावना बनी हुई है।

अतः अनुरोध है कि प्रश्गगत पार्क में कालोनीवासियों द्वारा किये जा रहे मन्दिर निर्माण के प्रयास को रोकने तथा शांति व्यवस्था पर आसन्न खतरें के दृष्टिगत यथोचित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

जोनल अधिकारी जोन–बी
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मेरठ को सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ को सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4– नोडल अधिकारी जोन–बी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5- थानाध्यक्ष पल्लवपुरम मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1/10/22

जोनल अधिकारी जोन–बी
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Zonal Officer
Zone B

1/10/22

Secretary
Meerut Development Authority
MEERUT

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

कारण बताओं नोटिस

प्रकरण सं0–215/22 /प्र0अनु0 जोन बी–2/22 दिनांक: 01-10-22

मैसर्स मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर, खसरा संख्या–561, 562(P) मुर्करबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ नोटिस अन्तर्गत धारा–26(क)(4) एव 27(1) उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 यथा संशोधित मेरठ विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक **01.10.2022 (दिनांक शब्दों में एक अक्टूबर दो हजार बाईस)** के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आपने मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना/अनुमति में दी गयी शर्तों का उल्लघंन करके /सार्वजनिक/सरकारी/प्राधिकरण /नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण करके निम्नलिखित स्थान पर जिसका विवरण नीचे दिया गया है, नियमानुसार अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य कर लिया है तथा आगे भी अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है।

स्थल का नाम व पता जहाँ अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है। **खसरा संख्या–561, 562(P) मुर्करबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ** इसके अतिरिक्त भी स्थल पर निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है।च आपसे एतत् द्वारा अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक **10.10.2022 (दिनांक दस अक्टूबर दो हजार बाईस)** तक कारण बताये कि क्यों न उपयुक्त अनाधिकृत निर्माण को गिराने के आदेश पारित कर दिनांक **10.10.2022 (दिनांक दस अक्टूबर दो हजार बाईस)** को सांय 3.00 बजे कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि आपके द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। अतः उपरोक्त उल्लिखत निर्माण के अतिरिक्त जो भी अनाधिकृत निर्माण स्थल पर पाया जाएगा वह भी इस नोटिस में शामिल माना जायेगा।

आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26(1) व धारा 26(क) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अन्तर्गत वह प्राविधान है कि ऐसे अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य करने के कारण आपके विरूद्व सक्षम फौजदारी न्यायालय में वाद योजित किया जा सकता है और दोषी पाये जाने पर रू 50,000/– तक का अर्थदण्ड और अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य जारी रहने की दशा में रू0 2500/–प्रतिदिन की दर से निर्माण/विकास कार्य जारी रहने की तिथि तक अतिरिक्त अर्थ दण्ड किया जा सकता है एवं धारा–26(क) के अन्तर्गत एक वर्ष का सामान्य कारावास तथा रू0 20,000/– तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है साथ ही उक्त निर्माण स्थल पर पाये जाने वाली सम्पति को अधिनियम की धारा–28 (क)(1) के अन्तर्गत उक्त निर्माण को सील भी किया जा सकता है।

अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य का विवरण		**खसरा संख्या–561, 562(P) मुर्करबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ।**
1. तल	:	भूतल
2. जीर्णोद्वार/महत्वपूर्ण परिवर्तन/नवीन निर्माण	:	नवीन निर्माण
3. सैट बैक में किये गये अतिक्रमण का विवरण	:	
(क) फ्रन्ट सैट बैक (अग्र भाग)	:	प्रभावित
(ख) साईड सैट बैक (पार्श्व भाग)	:	–
(ग) रियर साईड बैक (पृष्ठ भाग)	:	–
4. भवन उपयोग (आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/सस्थागत/अन्य)	:	पार्क
5. भूखण्ड का क्षेत्रफल	:	लगभग 120 वर्ग फीट
6. भू–स्वामित्व (सार्वजनिक/सरकारी/नगर विकास/प्राधिकरण/निजी/अन्य)		
7. बने हुये भवनों के कक्षों का विवरण	:	स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–14/2010 के विपरीत चिन्हित पार्क में एक कमरें के निर्माण हेतु आर0सी0सी0 कॉलम के साथ चिनाई का कार्य।
8. निरीक्षण के समय निर्माण की अवस्था	:	लगभग 06 फीट ऊँचाई तक।
9. अन्य विवरण	:	मौके पर कोई मानचित्र स्वीकृति नही दिखायी गयी।

1/10/22

जोनल अधिकारी जोन–बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

रामफल सिंह

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973(यथा संधोधित) की धारा–28(1) के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य रोको आदेश

जोन–बी सैक्टर–02 प्रकरण संख्या– 215 /22 थाना क्षेत्र.....पल्लवपुरम दिनांक 01 / 10/22

मैसर्स मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर, खसरा संख्या–561, 562(P) मुर्करबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ खण्डीय अवर अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 01.10.2022 द्वारा मुझे यह अवगत कराया गया था कि आपके द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है, जिसके विरूद्व धारा–27, के अन्तर्गत कारण बाताओ नोटिस संलग्न कर जारी किया गया है। स्थल का नाम जहॉ अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है।

अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य का विवरण		खसरा संख्या–561, 562(P) मुर्करबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ।
1. भूखण्ड का क्षेत्रफल	:	लगभग 120 वर्ग फीट
2. तल	:	भूतल
3. जीर्णोंद्वार/महत्वपूर्ण परिवर्तन/नवीन निर्माण	:	नवीन निर्माण
4. सैट बैक में किये गये अतिक्रमण का विवरण		
(क) फ्रन्ट सैट बैक (अग्र भाग)	:	प्रभावित
(ख) साईड सैट बैक (पार्श्व भाग)	:	–
(ग) रियर साईड बैक (पृष्ठ भाग)	:	–
5. निर्धारित भू–उपयोग	:	–
6. निर्माण का स्वरूप	:	पार्क
7. भू–स्वामित्व (सार्वजनिक/सरकारी/नगर विकास/प्राधिकरण/निजी/अन्य)		
8. पूर्व निर्मित क्षेत्रफल	:	
9. अनाधिकृत निर्माण का क्षेत्रफल	:	लगभग 120 वर्ग फीट
10. निर्माण का विवरण	:	स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–14/2010 के विपरीत चिन्हित पार्क में एक कमरें के निर्माण हेतु आर0सी0सी0 कॉलम के साथ चिनाई का कार्य।
11. निरीक्षण के समय निर्माण की अवस्था	:	लगभग 06 फीट ऊँचाई तक।
12. अन्य विवरण	:	मौके पर कोई मानचित्र स्वीकृति नही दिखायी गयी।

मेरठ महायोजना के प्राविधानों एवं उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संशोधित) की धारा–14 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना/अनुमति में दी गयी शर्तों का उल्लघंन करके अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य आरम्भ कर दिया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा–28(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आपको आदेश दिया जाता है कि आप इस आदेश के प्राप्त होने पर तत्काल उपरोक्त उल्लेखित निर्माण कार्य बन्द कर दें। यदि आपको उपरोक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 10.10.2022 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त आदेश को पुलिस बल की सहायता से अनुपालन कराया जायेगा तथा आपके विरूद्व धारा–26/27 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आपने उक्त अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य बन्द नहीं किया तो उक्त अधिनियम की धारा–28(2) के अधीन पुलिस बल की सहायता से आपको/आपके सहायकों तथा श्रमिकों को निर्माण/विकास कार्य स्थल से बलपूर्वक हटाया जा सकता है और स्थल की निगरानी पुलिस अथवा प्राधिकरण के कर्मचारियों से करायी जा सकती है तथा साथ ही अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किये बिना/अनुममि में दी गयी शर्तों का उल्लघंन करके निर्माण/विकास कार्य जारी करने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अभियेाजन किया जा सकता है। जिसमें रू0 250/– प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड का प्राविधान है।

आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा–26 व 49 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अन्तर्गत यह प्राविधान है कि ऐसे अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य करने के कारण आपके विरूद्व सक्षम न्यायालय में वाद योजित किया जा सकता है। धारा–26, के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर 50,000/– तक का अर्थदण्ड और अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य जारी रहने की दशा में रू0 2500/–प्रतिदिन की दर से अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य जारी रहने की तिथि तक अतिरिक्त अर्थ दण्ड किया जा सकता है तथा उक्त अधिनियम की धारा–28(क) (1) के अन्तर्गत उक्त निर्माण को सील भी किया जा सकता है।

1/10/22

जोनल अधिकारी जोन–बी
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

प्रतिलिपिः– अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्माण कार्य रूका है अथवा नहीं के सम्बन्ध में आख्या एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

जोनल अधिकारी जोन–बी
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

रामफल सिंह
9008525990

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक सं0–215/22 /प्रवर्तन खण्ड जोन–बी–2/2022 दिनांकः 01-10-22

प्रेषक,

जोनल अधिकारी जोन–बी
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

सेवा में

थानाध्यक्ष
थाना– पल्लवपुरम,
मेरठ।

विषयः– अनाधिकृत निर्माण को रूकवाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–14 के अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से बिना स्वीकृति प्राप्त किये/स्वीकृत मानचित्र के विरूद्व **मैसर्स मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर** द्वारा **खसरा संख्या–561, 562(P) मुर्करबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ** पर **लगभग 120 वर्ग फीट में भूतल पर स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–14/2010 के विपरीत चिन्हित पार्क में एक कमरें के निर्माण हेतु आर0सी0सी0 कॉलम के साथ चिनाई का कार्य लगभग 06 फीट ऊँचाई तक किया जा रहा है,** जिसके विरूद्व प्राधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–26, 27, 28(1)(2) के अनुसार **प्रकरण सख्या– /22 बी–2** के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिये जा चुके है।

अतः अधिनियम की धारा–28(2) के अन्तर्गत आपसे अनुरोध है कि उक्त अवैध निर्माण को रूकवाने का कष्ट करें।

भवदीय

1/10/22

जोनल अधिकारी जोन–बी
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक सं0– 614 /प्रवर्तन खण्ड जोन–बी–2/2022 दिनांकः 03/10/22

सेवा में,

1. **मै0 मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा**
2. **श्री रविन्द्र चौहान,**
3. **श्री जनमेयजय,**
4. **श्री शैलेन्द्र सिंह शास्त्री,**
5. **श्री सुशील चौहान व**
6. **श्री अरूण कुमार आदि,**

खसरा सं0–561, 562(पार्ट) मुर्करबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ।

विषयः– **मधुर एन्कलेव कॉलोनी पल्लवपुरम फेस–1 रूडकी रोड, मेरठ के अन्तर्गत स्वीकृत तलपट मानचित्र में दर्शित पार्क में मंदिर का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप द्वारा खसरा संख्या– 561, 562(पार्ट) ग्राम मुर्करबपुर पल्हैडा रूडकी रोड, मेरठ के क्षेत्रफल 18860.00 वर्ग मी0 पर आवासीय तलपट मानचित्र संख्या 14/2010 मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराकर मधुर एन्कलेव नामक कॉलोनी विकसित की गयी है। स्वीकृत तलपट मानचित्र में पार्कों का प्रावधान भी किया गया है।

अवगत कराना है कि उक्त स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत भवन संख्या 81 एवं 64 के सामने मैन गेट के पास स्थित पार्क में कुछ कॉलोनी वासियों द्वारा मंदिर का निर्माण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको प्राधिकरण द्वारा मौके पर कई बार रूकवाया गया है परन्तु काफी संख्या में कॉलोनी वासी प्राधिकरण की कार्यवाही का विरोध कर रहे है, तथा किसी भी तरह अनाधिकृत रूप से मंदिर का निर्माण करने पर आमदा है। साथ ही कुछ लोग मन्दिर निर्माण किये जाने का विरोध भी कर रहे है। प्रकरण धार्मिक आस्था से जुडा है। स्थल पर किसी भी समय शांति व्यवस्था बिगडने की सम्भावना बनी हुई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत तलपट मानचित्र की शर्तों के विपरीत पार्क में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को तत्काल रूकवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। यदि निर्माण कार्य नही रूकवाया जाता है तो समझा जायेगा आपकी सहमति से किया जा रहा है।

अतः स्वीकृत तलपट मानचित्र की शर्तों के विपरीत पार्क में निर्माण कार्य कराये जाने पर आपके विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

नोडल अधिकारी जोन–बी
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण को सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. थानाध्यक्ष–पल्लवपुरम, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03/10/22

नोडल अधिकारी जोन–बी
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक सं0– 215/22/प्रवर्तन खण्ड जोन–बी–2/2022 दिनांकः 7-10.22

प्रेषक,

जोनल अधिकारी जोन–बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

मैसर्स मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा,
श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश,
खसरा सं0–561, 562(P) मुर्करबपुर पल्हैडा रूडकी रोड,
मेरठ।

सील से पूर्व नोटिस

कृपया कार्यालय के पत्र संख्या–215/22 प्रवर्तन खण्ड जोन–बी/22 **दिनांक 01.10.2022** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना **लगभग 120 वर्ग फीट में स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–14/2010 के विपरीत चिन्हित पार्क में एक कमरें के निर्माण हेतु आर0सी0सी0 कॉलम के साथ चिनाई का कार्य किया जा रहा है**। उक्त निर्माण के सम्बन्ध में आपके द्वारा कोई स्वीकृति भी नहीं दिखायी गयी है जिसके कारण **दिनांक 01.10.2022** को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परन्तु आप द्वारा स्थल पर निरन्तर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में आपको अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि आपके द्वारा प्राधिकरण से बिना स्वीकृति कराये जा रहे निर्माण को क्यों न सील कर दिया जाये।

Neeraj Madhur

7/10/22

जोनल अधिकारी जोन–बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

जोनल अधिकारी
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्रकरण संख्या : 215/22 /जोन–बी/प्र0ख0/22 दिनांक : 07.11.22

उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संशोधित) की धारा–28क(1) के अन्तर्गत

सील का आदेश

मेरठ विकास प्राधिकरण

बनाम

मै0 मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर

अवर अभियन्ता श्री वेदप्रकाश अवस्थी द्वारा अपनी प्रतिवेदन/निरीक्षण आख्या दिनांक 01–10–2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि **मै0 मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर** द्वारा खसरा संख्या 561, 562 मुकर्रबपुर पल्हेडा रूडकी रोड मेरठ पर अवैध निर्माण किया गया है, जिसके लिए धारा–27(1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस धारा–28(1) के अन्तर्गत कार्य रोको एवं धारा–28(2) के अन्तर्गत सम्बन्धित थानाध्यक्ष पल्लवपुरम, मेरठ को कार्य रोकने हेतु पत्र प्रेषित किये गये। अवर अभियन्ता की आख्यानुसार वर्तमान में स्थल पर चोरी–छिपे अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है।

अतः मैं जोनल अधिकारी जोन–बी, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ उक्त अवैध निर्माण को उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 यथा संशोधित की धारा–28(क)(1) के अन्तर्गत सील किये जाने की आदेश देता हूँ। उक्त के अनुपालन हेतु दिनांक 18.11.22 नियत की गयी है। वर्तमान क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जोनल अधिकारी जोन–बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि –

1– सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

2– पुलिस अधीक्षक (नगर), मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु थानाध्यक्ष, पल्लवपुरम, मेरठ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3– अवर अभियन्ता/नोडल अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष से यथावश्यक पुलिस बल प्राप्त कर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

4– थानाध्यक्ष, पल्लवपुरम, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रयोजन हेतु समुचित पुलिस बल अवर अभियन्तागण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा सील उपरान्त इसे अपनी अभिरक्षा में लेने का कष्ट करें।

5– निर्माणकर्ता **मै0 मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर** खसरा संख्या 561, 562 मुकर्रबपुर पल्हेडा रूडकी रोड मेरठ को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित स्थल की यथा स्थिति बनाये रखें तथा सीलिंग की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न न करें अन्यथा आपके विरूद्ध आई0पी0सी0 की धारा–188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

07/11/22

जोनल अधिकारी जोन–बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

10-11-22

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

मेविप्रा पत्रांकः 215/22 /प्रवर्तन खण्ड जोन–बी/2022 दिनांकः 09/11/22

सेवा में,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

विषय : प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कालोनी मधुर एन्कलेव में पार्क की आरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करके पुनः पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री देवव्रत भारद्वाज के पत्र दिनांक 03–10–2022 पर अपने कार्यालय संदर्भ संख्या 04/पी22 दिनांक 07–10–2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि मै0 मधुर इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री नीरज मधुर पुत्र श्री ओमप्रकाश मधुर द्वारा खसरा संख्या 561, 562 मुकर्रबपुर पल्हेडा रूडकी रोड, मेरठ पर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर दिनांक 01–10–2022 को उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26, 27 व 28 के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही करते हुए वादसंख्या 215/22 संस्थित किया गया तथा निर्माण कार्य रूकवाने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष, थाना पल्लवपुरम मेरठ को पत्र दिनांक 01–10–22 में प्रेषित किया गया। निर्माणकर्ता को अपना पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा अपना कोई पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया तथा निर्माण कार्य को जारी रखा। फलस्वरूप निर्माण के सील आदेश दिनांक 07–11–2022 में पारित किये गये हैं। पुलिस बल की उपलब्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में स्थल पर कोई निर्माण कार्य गतिमान नही है।

कृपया आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

10-11-22

9/11/22
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

₹5
NCT OF DELHI COURT FEE
DLCT2158770J2137O
21-OCT-2021

FORM No.19

VAKALAT NAMA

In the Court....NGT NEW DELHI..........

Sult/Mise/Case/Civil Appeal/Execution Case.

OA No....779.......of....2022........Fixed....15.11.2022........

....

DEVVRAT BHARDWAJ..........Plaintiff/Appellcant/Appliant/D.H.

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

..........Defendent Respondent/Opp. Party/J.D.

Vakalat Name of Plaintiff/Appellant/D.H.

Defendent/Rerpondent/Opp Party/J.D.

In the case noted above ~~Shri~~/~~Smt~~....MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY [Respondent No. 04]..........

each of Sarvshri....RACHIT MITTAL..........

is hereby appointed as councel, to appear plead, and on behalf of the under signed in any manner he think it proper , either himself of through and other Advocate and in particular to do the following namely to receive and process of court (Incluing and notice from any appellate or revisional court) to file applications petitions, or plening, produce or receive back and documents compromise the proceeding to refer any matter to arbitration, to deposite or withdraw any money to execute decree or to certify payment and/or receivee and money due under shch decree or order.

The undersigned shall be bound by all whatsoever may be done in the aforesaid case (Including any appeal or revision theret from) for and on behalf of the under signed by any to the counsel

Signature..........
Name and Address.......... (चन्द्र पाल तिवारी) सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
Date..........
Attesting Witness..........
Name in full..........
Address..........
Date..........

Signature..........

RACHIT MITTAL
Advocate, Supreme Court of India,
MZ-25, Ansal Fortune Arcade
SEctor-18, Noida-201301
Uttar Pradesh

Accepted/Accepted on the strerngth of the Signature of the attesting withness

Enrl: D/1041/2011
Ph: 9873997047.
Email: office@rmlawchambers.in

ADVOCATES WELFARE FUND DELHI Rs.5 FIVE RUPEES 3001522

ADVOCATES WELFARE FUND DELHI Rs.10 TEN RUPEES 1648992

ADVOCATES WELFARE FUND DELHI Rs.10 TEN RUPEES 1649000